

कार्यालय आयुक्त, खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तराखण्ड, देहरादून
Office of Commissioner, Food Safety and Drug Administration
Uttarakhand, Dehradun



एफ0डी0ए0 भवन, डाण्डा लाखौण्ड पो0ओ0 गुजराड़ा सहस्रधारा रोड़ देहरादून
FDA Bhawan, Danda Lakhond, P.O. Gujrada, Sahastradhara Road, Dehradun-248013

पत्र संख्या:-एफ0डी0ए0/3प/पैरा/2/10/2001/84

दिनांक 16 जनवरी, 2024

-: विज्ञापित :-

एतद्द्वारा खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तराखण्ड के कार्य संचालन हेतु शासन द्वारा सृजित पदों पर, औषधि निरीक्षक ग्रेड-01 एवं ग्रेड-02 के नियमित पदों के सापेक्ष विभिन्न राज्य/केन्द्रीय सरकार के विभागों में कार्यरत नियमित कार्मिकों से औषधि निरीक्षक ग्रेड-01 एवं ग्रेड-02 संवर्ग पदों पर प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण के माध्यम से तैनात किये जाने हेतु कार्मिकों से निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र विज्ञापन की तिथि 18 जनवरी, 2024 से दिनांक 05 फरवरी, 2024 तक आमंत्रित किये जाते हैं। प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण हेतु आवेदन करने के इच्छुक एवं अर्ह कार्मिक/अभ्यर्थी, निर्धारित आवेदन पत्र, संलग्न किए जाने वाले अभिलेखों, नियम-शर्तों एवं पदों आदि की विस्तृत जानकारी खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तराखण्ड की वेबसाइट <http://fda.uk.gov.in> से डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के अपूर्ण एवं विलम्ब से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।


16/1/2024

औषधि नियंत्रक

खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन
उत्तराखण्ड देहरादून।

कार्यालय आयुक्त, खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तराखण्ड, देहरादून
एफ0डी0ए0 भवन, डाण्डा लाखौण्ड पो0ओ0 गुजराडा सहस्त्रधारा रोड देहरादून

पत्र संख्या:-एफ0डी0ए0/3प/पैरा/2/10/2001/83

दिनांक 16 जनवरी, 2024


:- विज्ञापित पदों का विवरण :-

एतद्वारा कार्यालय खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तराखण्ड में कार्य संचालन हेतु शासन द्वारा सृजित निम्नलिखित पदों पर, प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण के आधार पर राज्य के विभिन्न राज्य/केन्द्रीय सरकार के विभागों में कार्यरत नियमित कार्मिकों से निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र विज्ञापन की तिथि 18 जनवरी, 2024 से दिनांक 05 फरवरी, 2024 तक स्पीड पोस्ट के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं :-

क्र0स0	पदनाम	सातवा वेतनमान	पदों की संख्या
3.	औषधि निरीक्षक ग्रेड-01	47600-151100 (लेवल-08)	11
4.	औषधि निरीक्षक ग्रेड-02	44900-143400 (लेवल-07)	19
कुल योग			30

:-प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण हेतु आवश्यक नियम एवं शर्त:-

- उक्त पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है या किसी भी पूर्व सूचना के किसी पद को या सभी पदों को भरने की प्रक्रिया किसी भी समय स्थगित या पूर्ण रूपेण समाप्त की जा सकती है। चयनित कार्मिक का वेतन तथा भत्ते इत्यादि समय-समय पर जारी उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार होंगे।
- रिक्त पदों को प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण के माध्यम से 01 वर्ष की परिक्षा अवधि में रखा जायेगा। यह भी कार्मिक के द्वारा कार्य न किये जाने, कार्य में शिथिल होने की दशा में नियमानुसार अवधि पूर्ण होने से पूर्व भी बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है तथा उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग से नियमित चयन और पदोन्नति के पदों पर पात्र कार्मिकों की उपलब्धता होने पर प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण को तत्काल समाप्त करते हुए उनके मूल विभाग हेतु तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जायेगा।
- आवेदन पत्र के साथ विगत 03 वर्ष की ए0सी0आर0 प्रति संलग्न अनिवार्य है।
- किसी भी पद पर अधिक आवेदन प्राप्त होने की दशा में कार्मिकों का साक्षात्कार भी लिया जा सकता है।
- आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर ही मान्य होंगे। अन्य किसी भी प्रारूप में मान्य नहीं होंगे।
- आवेदक द्वारा शासन/विभागाध्यक्ष/समक्ष स्तर से विभागीय अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर कार्यालय खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित करना आवश्यक है अन्यथा आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
- आवेदन पत्र के साथ वांछित दस्तावेजों/अभिलेखों की स्व प्रमाणित प्रति संलग्न किया जाना अनिवार्य है अन्यथा आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- आवेदन पत्र पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से कार्यालय खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन एफ0डी0भवन, डाण्डा लाखौण्ड पो0ओ0 गुजराडा सहस्त्रधारा रोड देहरादून पते पर ही स्वीकार किए जायेंगे।
- निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जायेगा एवं डाक में देरी से प्राप्त होने की दशा में कार्यालय खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तराखण्ड देहरादून का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा अपितु आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा।
- आवेदन पत्रों का स्वीकार अथवा निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार, आयुक्त/औषधि नियंत्रक खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तराखण्ड, देहरादून में निहित है।
- कार्मिकों को आवश्यकतानुसार मुख्यालय से जनपद/मण्डलीय के कार्यालय अथवा मण्डलीय कार्यालय से मुख्यालय स्थानरान्तरित किया जा सकता है।


औषधि नियंत्रक 16/1/2024

खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन
उत्तराखण्ड देहरादून।

प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

1. आवेदित पद का नाम :
2. आवेदक का नाम:
3. माता का नाम:
4. पिता/पति का नाम:
5. जन्मतिथि:
6. कर्मचारी कोड:
7. दूरभाष/मोबाइल नम्बर:
8. स्थायी पता:
9. पत्र व्यवहार का पता:
10. कार्यालय का पता:
11. विभाग का नाम:
12. प्रथम नियुक्ति तिथि:
13. वर्तमान धारित पदनाम एवं तैनाती तिथि:
14. वर्तमान वेतन बैण्ड/लेवल (नवीनतम वेतन स्लैप) संलग्न किया जाता है:
15. कुल सेवा अवधि.....माह.....दिन
16. वर्तमान पद पर कुल सेवा अवधि.....माह.....दिन
17. शैक्षिक योग्यता:
18. संलग्नक अभिलेख/दस्तावेज:

स्वप्रमाणित पासपोर्ट
साइज रंगीन नवीनतम
फोटो

1. विभाग द्वारा जारी वार्षिक गोपनीय आख्या की प्रमाणित प्रति (नवीनतम 03 वर्षों की)।
2. विभागीय अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
3. विभाग द्वारा जारी संतोषजनक सेवा का प्रमाण पत्र।
4. विभाग द्वारा कोई भी जाँच संकल्पित/गतिमान न होने का प्रमाण-पत्र।

घोषणा पत्र

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी.....पुत्र/पति/पुत्री.....घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्तानुसार उपलब्ध करायी गयी समस्त सूचनाएं सही एवं सत्य हैं एवं मेरे द्वारा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। यदि मेरे द्वारा प्रेषित सूचना में कोई भी तथ्य गलत पाया जाता है तो मेरा आवेदन निरस्त कर दिया जाय, जिस हेतु मैं कोई वाद दायर नहीं करूंगा/करूंगी। खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन का निर्णय अन्तिम एवं मुझे मान्य होगा।

दिनांक:
स्थान

हस्ताक्षर :
आवेदक का नाम:
पदनाम :

7/11

